न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

प्रकरण कमांक 1397 /2016 निगरानी

रविकांत बंसल पुत्र श्री गिरधर गोपाल बंसल निवासी महादजी पार्क, लश्कर ग्वालियर. ...प्रार्थी

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर.
2. खनिज अधिकारी, कलेक्टोरेट, ग्वालियर.

...प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 21.12.15 तथा 28–3–16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर प्र0क0 2/2008–09/अ–67 में

श्रीमान् जी,

प्रार्थी की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, इस पुनरीक्षण के लिये संक्षेप में तथ्य इसप्रकार हैं कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्राम जखारा सर्वे कमांक 2469, ग्राम चिपरौली सर्वे कमांक 302/1 से मुरम पत्थर बोल्डर के प्रार्थी द्वारा अवैध रुप से खनिज उत्खनन कर सड़क निर्माण में उपयोग कर रॉयल्टी की चोरी करने से संबंधित प्रकरण कायम कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के यहां सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ । प्रकरण दिनांक 10–10–2014 को शासन की साक्ष्य हेतु नियत हुआ । प्रकरण में शासन साक्ष्य हेतु कई तिथियां नियत हुईं । अंत में देवेन्द्र राणा उप सरपंच दिनांक 11–5–2015 को उपस्थित हुआ व उसने अपने कथन अंकित कराये । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त तिथि को कथन

1585 राहुल तिवारी शपथ आयुक्त ग्वालियर (मध्य प्रदेश) 3/5/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1397—पीबीआर/16 [रविकांत / शासन] **जिला** ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11—5—2016	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेशों की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक वास्तविक रूप से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11—5—2015 से प्रभावित है, परन्तु उसके द्वारा तत्समय उक्त आदेश के विरूद्ध निर्धारित समय—सीमा में कोई निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है, और आवेदक द्वारा जिस आदेश दिनांक 28—3—2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, उक्त आदेश से आवेदक का प्रभावित होना परिलक्षित नहीं होता है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य एवं सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	